न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-185/2001

1- गोविन्दराम
2- नागर
3- रामसिंह

पुत्रगण स्व0 पन्नाराम जाति जाट निवासी चिडासन तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

--अपीलान्टस्---

---बनाम--

1- कमला बेवा बजरंगलाल स्त्री महीपाल जाति जाट निवासी चिडासन तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

2- ग्यारसी पुत्री स्व0 ज्यानकी व दुर्गाराम स्त्री हवासिंह जाति जाट निवासी ढाढोत कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

3- धापादेवी बेवा रुधाराम
4- बनवारीलाल पुत्र रुधाराम
5- तारायन्द उर्फ रामोतार उर्फ अवतार पुत्र रुधाराम
6- विद्याधर पुत्र रुधाराम

जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू

7- मु0 कमला पुत्री स्व0 रुधाराम स्त्री देवकरण जाति जाट निवासी केहरपुरा (पुनियों का) तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

8- मु0 परमेश्वर पुत्री स्व0 रुधाराम स्त्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी कायमसर तहसील चिडावा जिला छ झुन्झुनू ।

9- मु0 सन्तरा पुत्री स्व0 रुधाराम स्त्री बीरबल जाति जाट निवासी स्वामी सेही तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

10-नाथाराम
11-भागीरथ

पुत्रगण स्व0 झाबरराम जाति जाट निवासी चिडासन तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

12-मु0 रुकमा पुत्री स्व0 झाबरराम स्त्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी श्री अमरपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

13- मु0 अणची पुत्री स्व0 झाबरराम स्त्री बोयतराम जाति जाट निवासी श्री अमरपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

14- मु0 भतेरी पुत्री स्व0 झाबरराम स्त्री नन्दराम जाति जाट निवासी घरडाना

15- रामेश्वर पुत्र स्व0 बेगूराम
16- अमीलाल पुत्र स्व0 बेगूराम
17- भोलाराम पुत्र स्व0 बेगूराम

जाति जाट निवासी चिडासन तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

18- मु0 मनी पुत्री स्व0 बेगूराम स्त्री जयलाल जाति जाट निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

19- मु0 सन्तोष पुत्री स्व0 बेगूराम स्त्री हंसराम जाति जाट निवासी हुक्मा की ढाणी तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू ।

20- छैलूराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी चिडासन तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

21-मालाराम पुत्र गणपत
22-दाताराम पुत्र नैणाराम
23-पन्नाराम पुत्र नैणाराम
24-गोरूराम पुत्र देबूराम
25-मु0 सदाकोर बेवा सांवतराम स्त्री गोकल

जाति जाट निवासी चिडासन तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

26- तहसीलदार तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस--

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक दिनांक 3-1-2001 द्वारा
सहायक जिला कलेक्टर(मु0)झुन्झुनू।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री जगदीशचन्द एडवोकेट- अपीलान्टस--

2-श्री विजयपाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्टस--

पू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

निर्णय दिनांक- 28.5.2018

निर्णय दिनांक- 28.5.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया/रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अदालत मातहत में एक दावा बाबत घोषणात्मक एवं बंटवारा और स्थाई निषधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादीया स्व0 बजरंगलाल की पत्नी है। बजरंगलाल की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई ।बजरंगलाल के एक पुत्री रामप्यारी है । बजरंगलाल के पिता के चार पुत्र है जिसमें बजरंगलाल सबसे छोटा पुत्र है ।वादीया अपने पति के हिस्से पर काबिज काश्त है । ग्राम अमरपुरा की सरहद में भूमि खसरा नं0 228 रकबा 0.82 हैक्टर एवं खसरा नं0 231 रकबा 0.76 हैक्टर कुल 1.56 हैक्टर वादीया के ससुर पन्नाराम की खातेदारी की है । जिसमें वादीया का 1/4 हिस्सा है । इसके अलावा ग्राम चिडासन की सरहद में भूमि खसरा नं0 30 रकबा 0.50 हैक्टर, ख0नं0 31 रकबा 0.50 हैक्टर, ख0नं0 32 रकबा 0.46 हैक्टर, ख0नं0 33 रकबा 0.75 हैक्टर, ख0नं0 35 रकबा 0.77 हैक्टर, ख0नं0 36 रकबा 0.21 हैक्टर, ख0नं0 37 रकबा 0.19 हैक्टर, ख0नं0 38 रकबा 0.19 हैक्टर, ख0नं0 39 रकबा 0.17 हैक्टर, ख0नं0 40 रकबा 0.21 हैक्टर, ख0नं0 41 रकबा 0.58 हैक्टर, ख0नं0 42 रकबा 0.30 हैक्टर, ख0नं0 92 रकबा 0.93 हैक्टर, ख0नं0 94 रकबा 2.48 हैक्टर, ख0नं0 95 रकबा 0.34 हैक्टर, ख0नं0 96 रकबा 1.42 हैक्टर, ख0नं0 117 रकबा 1.78 हैक्टर, ख0नं0 121 रकबा 1.60 हैक्टर, ख0नं0 122 रकबा 1.10 हैक्टर ख0नं0 123 रकबा 0.58 हैक्टर, ख0नं0 374 रकबा 2.20 हैक्टर, ख0नं0 382 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 383 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 384 रकबा 1.30 हैक्टर, ख0नं0 385 रकबा 0.65 हैक्टर, ख0नं0 386 रकबा 0.64 हैक्टर, ख0नं0 387 रकबा 0.98 हैक्टर, ख0नं0 388 रकबा 4.05 हैक्टर, ख0नं0 389 रकबा 0.62 हैक्टर, ख0नं0 397 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0नं0 398 रकबा 0.02 हैक्टर ख0नं0 399 रकबा 1.47 हैक्टर कुल किता-32 रकबा 27.25 हैक्टर नाथा भागीरथ पिता झाबर, मनकोरी बेवा झाबर हिस्सा बराबर 7/162 दर हिस्सा 7/54, पन्ना रूधनाथ पुत्र श्योजीराम हि0 बराबर 7/81, बेगू छेलू पुत्र गणेशाराम हिस्सा बराबर 7/108, जयकोरी बेवा भूपत माला पुत्र गणपतराम हिस्सा 7/108 दर हिस्सा 7/54, दाताराम

पन्नाराम पुत्र नैपाराम हिस्सा 7/36 गोरू पुत्र देबू हि0 7/36 सदकोर बेवा सांवता हिस्सा 4/18 के नाम खातेदारी दर्ज है ।इस प्रकार वादीया के ससुर पन्नाराम के हिस्से में 8 18 बीघा खाम जमीन आई है। पन्ना ने इस जमीन में से रूघाराम के हिस्से की जमीन खरीद ली इस कारण रूघाराम के हिस्से की जमीन भी पन्नाराम की खातेदारी में है। वादीया और उसका ससुर व जेठ भूमि खसरा नं0 383, 384 में आबाद है ।यही खसरा नम्बर भाई बंटवारे में आये हुयेहैं ।जिसमें रूघाराम की जमीन शामिल हुई है । इस आराजी को बजरंगलाल, गोविन्दा, नागर रामसिंह शामिल काश्त करते थेक करीब 7 साल पूर्व वादीया का पति बजरंगलाल, गोविन्दा नागर रामसिंह अलग अलग हो गये तथाइस जमीन एवं अमरपुरा की जमीन का बंटवारा कर लिया और अपनी सहुलियत से बंटवारा के अनुसार अपने अपने हिस्से की जमीन को काश्त करने लग गये ।पन्नाराम की उक्त आराजी में वादीया का 1/4 हिस्सा रखा गया जिसमें 88 भूमि ख0नं0 384, 383 के बीच से उत्तर दक्षिण एक पानी का धोरा है। इस धोरे के पश्चिम उत्तर की तरफ 3 बीघा खाम जमीन वादीया के हिस्से में तथा इसी अनुसार ख0नं0 324 व 323 में वादीया और प्रतिवादी नागर, गोविन्द, रामसिंह अपने अपने हिस्से पर अलग अलग काबिज है । अमर पुरा की जमीन में वादीया का 1/4 हिस्सा यानि 3 बीघा 888 15 बिस्वा खाम हिस्से में आई है ।इस जमीन में भी वादीया एवं बजरंगसिंह, नागर गोविन्दा रामसिंह ने आपस में बंटवारा कर रखा था ।जिसमें वादीया का 1/4 हिस्सा है । किन्तु प्रतिवादीगण पन्नाराम नागर, गोविन्दा वादीया को यह कहते हैं कि अमरपुरा वाली जमीन में कोई हिस्सा नहीं है । इस जमीन में वादीया को कोई काश्त नहीं करने देंगें । सन् 1988 में वादीया ने जब अपने हिस्से की आराजी को काश्त किया तो इन्होने लडाई झगड़ा किया ।जिसका मुकदमा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अदालत में विचाराधीन है ।इसके बाद प्रतिवादी गण ने इस आराजी बाबत दिनांक 19-8-88 को राजीनामा किया । जिसमें उक्त आराजी, कुआ फंवारा सेट में 1/4 हिस्सा स्वीकार किया है जिसका राजीनामा लिखवाया गया । किन्तु इस साल माह जून 1989 सें वादीया के हिस्से से इन्कार

करने लगे तथा काश्त नहीं करने देंगे यह कहा जिस पर वादीया ने यह दावा किया जिसमें पन्नाराम की खातेदारी और हिस्से की भूमि खनं0 228, 229, 231 वाके चिडासना कुआ टहर वाले में 3 बीघा खाम और कुई बोदली वाली में आधी बीघा खाम वाके सरहद चिडासन में वादीया का 1/4 हिस्सा और वह उसकी खातेदार काश्तकार है । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादिया का दावा डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने आदेश-20 नियम-5 सीपीसी की पालना नहीं कर आदेश पारित किया है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने तनकी संख्या-1 को साबित नहीं किया । रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने दावे में पन्नाराम द्वारा रूघाराम की आराजी खरीदना बताया है किन्तु यह नहीं बताया कि इस आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया हो और न ही यह बतायाकि यह आराजी कब क्रय की तथा कितने रूपयों में क्रय की । इस कारण अदालत मातहत का निर्णय कानून के विपरित है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अपने दावे में यह दर्ज नहीं किया कि कोटीनेन्टस के बीच में बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवारा हुआ हो तथा ना ही बंटवारे की स्वीकृति रही हो । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अपने बयानों में बंटवारे के बाबत कुछ भी नहीं कहा । इसके बाद भी अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने में कानूनी भूल की है । तथा रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने तथाकथित पारिवारिक बंटवारा रजिस्टर्ड नहीं होने से साक्ष्य में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । पीडब्लू-1 व 2 के बयान भी परस्पर आपस में विरोधाभाषी है साथ ही बंटवारा केवल सहखातेदारों के मध्य ही होता है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 विवादित आराजी की खातेदार नहीं है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने विवादित भूमि को पैतृक बताकर उसमें 1/4 हिस्सा की खातेदारी चाही है अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का 1/4 हिस्सा आराजी पैतृक होने से नहीं बनता कानूनन भी

देखा जाये तो आराजी पैत्रिक होने से पन्नाराम के चार पुत्र होने से 1/4, 1/4 हिस्सा पुत्रों का बनता है तो क्या पन्नाराम का पैतृक आराजी में कोई हिस्सा नहीं बनता इस बिन्दू पर कोई गौर न कर आदेश पारित किया है। बजरंगलाल मरा तब उसकी मां पारादेवी मौजूद थी । उसका देहान्त दावा पेश करने के बाद हुआ है ।इस प्रकार वादी/रैस्पोडेन्ट संख्या-1 का 1/4 हिस्सा घोषित करने में कानूनी भूल की है । रेस्पोडेन्ट सं0-2 मृतक पन्नाराम की मृतक पुत्री की पुत्री है जिसका भी पन्नाराम की सम्पत्ति में हिस्सा है ।इस बिन्दू पर भी अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।अपीलान्ट के अभिभाषक ने कह रखा था कि आपको तारीख पेशी पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं मैं अपने आप तारीख पेशी की व्यवस्था कर दूंगा । दिनांक 1-6-98 को पन्नालाल के कायम मुकाम बनाने के लिये तारीख पेशी दी गई थी और दावा कायम मुकाम में चल रहा था । वकील साहब ने कहा कायम मुकाम की कार्यवाही होने पर सूचना दे दी जावेगी किन्तु वकील [illegible] साहब ने कोई सूचना नहीं दी । अपीलान्ट जब चिडावा आये और अपने अभिभाषक से मिला तो उन्होने कहा कि दावा प्रतिवादीगण की शहादत पर चल रहा है आवश्यकता होने पर पत्र देकर बुला लिया जावेगा । किन्तु अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई । दिनांक 7-10-2001 को अपीलान्टस् पटवारी हल्का से मिले और पन्नाराम के वारिसान के नाम उत्तराधिकार का नामान्तरकरण दर्ज करने बावत कहा तो पटवारी हल्का ने न्यायालय सहायक कलेक्टर(मु0) झुन्झुनू के निर्णय व डिक्री की फोटो प्रति को पढकर अपीलान्ट को बताया गया । तब अपीलान्ट ने दिनांक 8-10-2001 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल 9-10-2001 को प्राप्त हुई । जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है ।अतः अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे । तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का दावा खारिज किया जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
अपील अधिकारी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारीफार्म संख्या-7 में सम्वत 2044 से 2063 तक में ख0नं0 30 से 34, 35 से 42, 92 से 96, 117, 121 से 123, 374, 382 से 389, 397, से 399 कुल किता-32 रकबा 27.25 हैक्टर का अन्य खातेदारों के साथ पन्नाराम रूघाराम पि0 श्योजीराम हि0ब0 7/81 की खातेदारी दर्ज है । यह आराजी ग्राम चिडासन में स्थित है तथा आराजी ख0नं0 228, 231 कुल किता-2 रकबा 1.58 हैक्टर की खातेदारी पन्ना वल्द श्योजीराम के नाम दर्ज है । यह आराजी ग्राम अमरपुरा में स्थित है। प्रदर्श-2 से 7 पुलिस थाना चिडावा में दर्ज एफ0आई0आर की कार्यवाही है जो मुकदमा कमला द्वारा दर्ज करवाया गया । प्रदर्श-1 पारिवा--रिक बंटवारा किया गया जिसमें पन्नाराम, गोविन्दराम, रामसिंह व कमला ने पारिवारिक बंटवारा किया जिसमें विवादित आराजी में कमला का 1/4 हिस्स माना है । विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट के ससुर पन्नालाल के खातेदारी में दर्ज है ।पन्नालाल ने इस आराजी को स्वअर्जित बताया है ।इस बाबत प्रतिवादीगण की ओर से न तो कोई साक्ष्य पेश की है न मौखिक साक्ष्य पेश की है । प्रदर्श-1 पारिवारिक बंटवारा की लिखावट है जिस पर पन्नाराम, गोविन्द रामसिंह, नागर व कमला के हस्ताक्षर है जिसमें विवादित आराजी में कमला का 1/4 हिस्सा स्वीकार किया गया है ।तथा पारिवारिक बंटवारा के अनुसार मौके पर बंटवारा भी किया गया है ।रेस्पोडेन्ट ने अपने बयानों में भी विवादित आराज आराजी मे 1/4 हिस्सा होना व 1/4 हिस्से पर काबिज होना साबित किया है। अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद अपना निर्णय दिया है । जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(मु0) झुन्झुनू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3-1-2001 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 28.5.2018 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा) 28/5/18
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर